संख्या 120 /08–XIX–212/05 खाद्य/2008

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह
सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/पौड़ी/
देहरादून/नैनीताल/चम्पावत।
3. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग,
हल्द्वानी/देहरादून।
4. निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, रूद्रपुर।
5. अपर निबन्धक,
उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ,
देहरादून।
6. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 दिनांकः देहरादूनः 12 अप्रैल, 2008

विषयः–रबी विपणन वर्ष 2008–09 के अन्तर्गत कमीशन एजेन्ट के माध्यम से मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेंहूँ खरीद।

महोदय,

आप अवगत हैं कि रबी विपणन वर्ष 2008–09 के अन्तर्गत समर्थन मूल्य पर गेंहूँ क्रय की नीति विषयक शासनादेश संख्या 106/08–XIX–2/05 खाद्य/2008 दिनाँक 31 मार्च, 2008 जारी किया जा चुका है। समर्थन मूल्य के अन्तर्गत कमीशन एजेन्टों के माध्यम से क्रय किये जाने वाले गेहूँ खरीद में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी के पत्र संख्या–90/गेहूँ खरीद/2008–09 दिनाँक 11–04–2008 में दर्शायी गयी व्यवहारिक कठिनाईयों एवम् दिये गये सुझावों के दृष्टिगत उपरोक्त शासनादेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी विपणन वर्ष 2008–09 के अन्तर्गत कमीशन एजेन्टों के माध्यम से गेहूँ क्रय हेतु भुगतान, एवं अन्य व्यवस्था निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाये :–

1. कमीशन एजेन्टों के माध्यम से क्रय किये जाने वाले गेहूँ से सम्बन्धित गेहूँ की मात्रा का संग्रह डिपो पर सम्प्रदान के उपरान्त कमीशन एजेन्ट को समर्थन मूल्य, भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर अनुमन्य 2.5 प्रतिशत कमीशन एवम् मण्डी शुल्क तथा वैट का नियमानुसार भुगतान केन्द्र प्रभारी द्वारा तत्काल कर दिया जाये।

2. क्रय स्थल पर गेहूँ की हैण्डलिंग एवम् क्रय स्थल से संग्रह डिपो तक गेहूँ के परिवहन से सम्बन्धित बिल कमीशन एजेन्टों द्वारा प्रस्तुत करने एवम् केन्द्र प्रभारी द्वारा

.....(2).....

सत्यापित किये जाने के उपरान्त सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी द्वारा उसका एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

/

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव।

संख्या- 1201(1)/08-XIX-212/05 खाद्य/2008 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
5. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, मा0 खाद्य मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी समिति परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. जिला प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून एवं हल्द्वानी।
12. निबन्धक, सहकारी विपणन संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) कुमायूँ एवं गढ़वाल सम्भाग।
14. सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव।